



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ 1934 (श0)
(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 जून 2012

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

26 जून 2012

एस०ओ० 106, दिनांक 26 जून 2012—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) सपटित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 24, दिनांक 24 मार्च, 2005, (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 24, दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 6 के बाद निम्नलिखित नई क्रम संख्या एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“7	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी तथा बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है।	20 प्रतिशत”
----	---	-------------

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 जून 2012

एस०ओ० 107, एस० ओ० 106, दिनांक 26 जून 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th June 2012

S.O. 106, dated the 26th June 2012—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the table appended to Departmental notification No. S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), namely-

Amendment

1. After serial number 6 of the Table appended to departmental notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005, (as amended from time to time), the following new serial number and its corresponding entries shall be added, namely-

“7	Tobacco and tobacco products, except biri and unmanufactured tobacco used in manufacture of biri.”	20 %.”
----	--	--------

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Sanshodhan-02/2012—2509(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-principal Secretary

Commercial Taxes Department.

26 जून 2012

एस०ओ० 108, दिनांक 26 जून 2012—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-IV में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. अनुसूची IV के क्रम संख्या 6 के बाद, निम्नलिखित नई क्रम संख्या 7 एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“7	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी तथा बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है”
----	---

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 जून 2012

एस०ओ० 109, एस० ओ० 108, दिनांक 26 जून 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th June 2012

S.O. 108, dated the 26th June 2012—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act. No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in Schedule IV appended to the said Act, namely-

Amendment

1. After Serial No. 6 of Schedule IV, the following new serial number-7 along with its corresponding entry shall be added, namely-

“7	Tobacco and tobacco products, except biri and unmanufactured tobacco used in manufacturing of biri.”
----	--

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Sanshodhan-02/2012—2509(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-principal Secretary

Commercial Taxes Department.

26 जून 2012

एस०ओ० 110, दिनांक 26 जून 2012—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-13 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43, दिनांक 4 मई, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43, दिनांक 4 मई, 2006 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 6 के बाद निम्नलिखित नई क्रम संख्या 7 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“7	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बिड़ी तथा बिड़ी के निर्माण में प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू शामिल नहीं है	बिहार में किसी बिक्रय श्रंखला में बिक्रय के प्रत्येक प्रक्रम पर।”
----	--	---

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 जून 2012

एस०ओ० 111, एस० ओ० 110, दिनांक 26 जून 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th June 2012

S.O. 110, dated the 26th June 2012—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in departmental notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006, namely-

Amendment

1. After serial number 6 of the Table appended to departmental notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006, the following new serial number and its corresponding entries shall be inserted, namely-

“7	Tobacco and tobacco products, except biri and unmanufactured tobacco used in manufacturing of biri.	At every point of sale in a series of sales in the State of Bihar.”	
----	---	---	--

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Sanshodhan-02/2012—2509(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-principal Secretary

Commercial Taxes Department.

26 जून 2012

एस०ओ० 112, दिनांक 26 जून 2012—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. अनुसूची I के क्रम संख्या 83 के बाद निम्नलिखित नई क्रम संख्यायें एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—

“84	झाड़ू
85	काजल
86	मेंहदी (हेयर डाई के रूप में प्रयुक्त मेंहदी को छोड़ कर)
87	मखाना
88	सेवई
89	सुखा सिंघाड़ा
90	सिंघाड़े का आटा
91	रामदाना”

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 जून 2012

एस०ओ० 113, एस० ओ० 112, दिनांक 26 जून 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2012—2509 (अनु०)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th June 2012

S.O. 112, dated the 26th June 2012—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act. No. 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule I appended to the said Act, namely-

Amendments

1. After Serial No. 83 of Schedule I, the following new serial numbers along with their corresponding entries shall be added, namely-

“84	Jhadu
85	Kaajal
86	Mehandi (except when used as hair dye)
87	Makhana
88	Sewai
89	Dry Singhara
90	Flour of Singhara
91	Ramdana”

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri kar/Sanshodhan-02/2012—2509(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 284-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>